कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-09.04.2025

विषयः- फर्जी पासपोर्ट बनवाकर विगत कई वर्षों से वाराणसी में अवैध ढंग से निवास कर रहे बांग्लादेशी नागरिक को थाना सारनाथ पुलिस व ए0टी0एस0 की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के अपराधों की रोकथाम एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ़्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा ज़ोन के निर्देशन मे, श्रीमान् अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के पर्यवेक्षण में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के नेतृत्व मे **"ऑपरेशन चक्रव्यूह"** के तहत इलेक्ट्रनिक/भौतिक सर्विलांस तथा मुखबिर की सूचना पर थाना सारनाथ पुलिस व ए0टी0एस0 ईकाई वाराणसी की संयुक्त कार्यवाही में 01 नफ़र अभियुक्त छदम भारतीय नाम मांग फ्रु मोंग पुत्र अबु मोंग निवासी एस-ए 14/98 जे-10 सारनाथ चौक बरायेपुर सारनाथ वाराणसी, मूल बंग्लादेशी नाम होल्मोंग सिघ मार्मा पुत्र माउंग चोंग मार्मा मूल पता मकान नं0-373 नायकक तारारूमा जनपद बंदरवन बाग्लादेश को दिनांक-08.04.2025 को समय करीब 16.00 बजे गोल्डेन डियर हैण्टी कार्फ्ट दुकान के सामने म्यूजियम सारनाथ वाराणसी से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की जामा तलाशी से 01 अदद भारतीय पासपोर्ट, 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद भारतीय आधार कार्ड, 01 अदद भारतीय पैन कार्ड, 01 अदद बांग्लादेशी आईडी कार्ड व अन्य भारतीय दास्तावेज की छायाप्रति बरामद हुआ। उक्त गिरफ़्तारी/बरामदगी के आधार पर थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-166/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बी0एन0एस0 व 14(A) विदेशी अधिनियम व 12(1)(A) पासपोर्ट अधिनियम पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण- विगत कुछ समय से एटीएस (आतंकवाद निरोधक दस्ता) को यह आसूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ बांग्लादेशी नागरिक वाराणसी में अवैध ढंग से निवास कर रहे हैं और जो अपनी पहचान छिपाकर भारतीय पासपोर्ट, आधार, पैन आदि जैसे मूल्यवान अभिलेख बनवाये हैं तथा वर्तमान समय में जनपद वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में रह रहे हैं। उक्त व्यक्ति के संदिग्ध संगठन से जुड़े होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। जिसकी गिरफ्तारी हेतु इलेक्ट्रनिक एवं भौतिक सर्विलांस के साथ-साथ मुखबिर भी क्षेत्र में मामूर थे। मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त उपरोक्त को फर्जी पासपोर्ट व अन्य दस्तावेज के साथ गिरफ्तार किया गया तथा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण पूछताछ- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं बांग्लादेश का रहने वाला हूँ और मेरा नाम होल्मोंग सिंघ मार्मा है और मेरा पता म0नं0-373 गली नायकक पारा रूमा जनपद बंदरवन बाग्लादेश है, जहां पर मेरा पूरा परिवार निवास कर रहा है। मैं लगभग 12 वर्ष पहले अपने पिता के एक दोस्त जो कपड़ा बेचने का काम करते थे उनके साथ मिजोरम के रास्ते अवैध रूप से भारत में आया था। भारत आने के बाद से मैं भारत के असम, बिहार, कर्नाटक आदि राज्यों में रहा हूँ। वर्ष 2014 से 2016 तक में एक व्यक्ति जो बांग्लादेश का रहने वाला उसके माध्यम से मैंने अपना भारतीय पहचान पत्र व अन्य कागजात तैयार करके पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जिसके उपरान्त मेरा पासपोर्ट जारी हो गया। मेरी पत्नी जो म्यामार की रहने वाली है वो एक बार भारत में वाराणसी घुमने आयी थी जिससे मेरी मुलकात हुई थी और बात-चीत होने लगी जिससे मैं वर्ष 2019 में म्यामार जाकर शादी कर लिया था और उससे मिलने मैं भारतीय पासपोर्ट से म्यामार जाता रहता हूँ। मैं भारतीय पासपोर्ट से ही बांग्लादेश व म्यांमार राष्ट्र की यात्रा किया हूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
छदम भारतीय नाम मांग फ्रु मोंग पुत्र अबु मोंग निवासी एस-ए 14/98 जे 10 सारनाथ चौक बरायेपुर सारनाथ वाराणसी, मूल बंग्लादेशी नाम होल्मोंग सिघ मार्मा पुत्र माउंग चोंग मार्मा मूल पता मकान नं0-373 नायकक तारारूमा जनपद बंदरवन बाग्लादेश, उम्र करीब 30 वर्ष।

गिरफ़्तारी का स्थान, दिनांक व समय-
गोल्डेन डियर हैण्टी कार्फ्ट दुकान के सामने म्यूजियम सारनाथ वाराणसी से, दिनांक-08.04.2025 को समय करीब 16.00 बजे।

बरामदगी का विवरण-
01 अदद भारतीय पासपोर्ट, 01 अदद मोबाइल फोन, 01 अदद भारतीय आधार कार्ड, 01 अदद भारतीय पैन कार्ड, 01 अदद बांग्लादेशी आईडी कार्ड व अन्य भारतीय दास्तावेज की छायाप्रति बरामद।

आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0-166/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2) बी0एन0एस0 व 14(A) विदेशी अधिनियम व 12(1)(A) पासपोर्ट अधिनियम थाना सारनाथ कमि0 वाराणसी।

गिरफ़्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-
1. थानाध्यक्ष विवेक कुमार त्रिपाठी थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी।
2. उ0नि0 रितेश कुमार सिंह एटीएस।
3. हे0का0 राजेश कुमार यादव एटीएस।
4. हे0का0 नितेन्द्र कृष्ण यादव एटीएस।
5. हे0का0 सदानन्द यादव एटीएस।
6. हे0का0 पंकज कुमार एटीएस।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी ।